निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1319) पटना, वृहस्पतिवार, 7 अगस्त 2025

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2025

सं० बी1–3–49/2022–19––उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन से संबंधित कार्यक्रम की अधिसूचना संख्या–480/कार्यक्रम/2025 दिनांक 07.08.2025 तथा मतदान का स्थल एवं मतदान की अवधि से संबंधित अधिसूचना संख्या– 480/पी.ओ.पी/2025 दिनांक 07.08.2025 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) प्रकाशित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

———

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 07 अगस्त, 2025 श्रावण 16, 1947(शक)

सं. 480/कार्यक्रम/2025:- यत:, श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई, 2025 को त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है; और

यत:, भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड (2) के अंतर्गत, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है; और

यत: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख नियत की जानी अपेक्षित है;

अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा -

(अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की उक्त रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

(आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है-

(क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख–21 अगस्त, 2025 (गुरुवार);

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख–22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख–25 अगस्त, 2025 (सोमवार); और

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा–09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)

आदेश से,

सुमन कुमार दास,

सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 07th August, 2025,

Sravana 16, 1947 (Saka)

No. 480/Programme/2025:- Whereas, a vacancy in the office of the Vice-President of India has occurred by reason of resignation of Sh. Jagdeep Dhankhar on 21st July, 2025; and

Whereas, under clause (2) of Article 68 of the Constitution of India, an election to fill the said vacancy is required to be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy; and

Whereas, under sub-section 4 of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to appoint the dates for the election to fill the office of the Vice President of India;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) calls upon the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the said vacancy in the office of the Vice-President of India, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

(B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints -

a) the 21st August, 2025 (Thursday), as the last date for making nominations;

b) the 22nd August, 2025 (Friday), as the date for scrutiny of the nominations;

c) the 25th August, 2025 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and

d) the 09th September (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

SUMAN KUMAR DAS,

SECRETARY.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 07 अगस्त, 2025 श्रावण 16, 1947(शक)

480/पी.ओ.पी/2025:- राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा;

(क) अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2025 की अधिसूचना सं. 480/कार्यक्रम/2025 के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं. एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और

(ख) 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसके, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 07th August, 2025,
Sravana 16, 1947 (Saka)

480/P.O.P/2025:- In pursuance of Rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby;

(a) fixes Room No. F-101, Vasudha, First Floor, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-Presidential Election to be held in accordance with its Notification No.480/Programme/2025, dated the 07th August, 2025; and

(b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the said place of polling.

By Order,
SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1319-571+50-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in